**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1481**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नागरिकता**

**1481. श्री रवि प्रकाश वर्माः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) उन विशिष्ट मानदंडों/दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है जिनसे सरकार उपर्युक्त देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को चिन्हित करेगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) का उद्देश्‍य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देने की सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने भारत में दिनांक 31.12.2014 को अथवा उससे पहले प्रवेश किया है और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम/आदेश के प्रावधानों के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिनांक 10.01.2020 को लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम के अतंर्गत कवर किए गए प्रवासी केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्‍त नियम अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते है।

\*\*\*\*\*